बुलढाणा येथे कामगार भवन (प्रशासकीय इमारत) बांधण्याच्या अंदाजपत्रकास मान्यता प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०६२४/प्र.क्र.११७/काम-८

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक: १५ ऑक्टोबर, २०२४.

संदर्भ:-

- 9) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१९५/काम-८, दि.०७.१२.२०२३.
- २) जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा यांचे आदेश क्र. रा.प्र.क्र.एल.एन.डी.-१२/बुलढाणा/२३/ २०२३-२०२४, दि.०२.०२.२०२४.
- 3) कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, बुलढाणा यांचे जावक क्र.साबांबु/तां.२/२०२४, दि.१८.०४.२०२४ रोजीचे पत्र.
- ४) कामगार आयुक्त यांचे पत्र क्र.काआ/आस्था/बुलडाणा का.भ/२०२४/कार्या-३/४९१, दि.१४.०६.२०२४.

प्रस्तावना:-

राज्यातील संघटित व असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या सोईसाठी व कामगार विभागांतर्गतची सर्व कार्यालये एका छताखाली आणण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी कामगार भवन उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्यास अनुसरुन संदर्भ क्र. १ येथील दि.०७.१२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी कामगार भवन उभारण्यास व त्याच्या बांधकामास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कामगार विभागाची कार्यरत असलेली कार्यालये व त्या कार्यालयांतील आकृतीबंधानुसार शासकीय मानकाप्रमाणे आवश्यक असलेली जागा यांचा विचार करुन कामगार भवनाचे ४ प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले असून, त्याप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तयार करुन घेण्यात आलेल्या अ, ब, क व ड या चार प्रकारच्या योजना/संकल्प आराखडे (Type Plan) यांना दि.२८.१२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये राज्यातील कामगार भवनांच्या उभारणीसाठी कामगार आयुक्त, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले असून, कामगार भवन उभारण्याकामी अनुसरावयाची कार्यपद्धती देखील विशद करण्यात आली आहे. कामगार भवनाच्या सदर वर्गीकरणामध्ये बुलढाणा जिल्ह्याचा समावेश "ड" प्रकारामध्ये करण्यात आला असून, बुलढाणा येथे कामगार भवन उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. बुलढाणा येथील प्रस्तावित कामगार भवनामध्ये (प्रशासकीय इमारत) कामगार प्रभागांतर्गत असलेले सरकारी कामगार अधिकारी बुलढाणा यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, बुलढाणा यांचे कार्यालय, घरेलू कामगार व असंघटित कामगार मंडळ, बुलढाणा यांचे कार्यालय व औद्योगिक न्यायालय, बुलढाणा इ. स्थलांतरित करण्यात येणार आहे.

- २. सरकारी कामगार अधिकारी, बुलढाणा यांनी बुलढाणा येथे कामगार भवन उभारण्यासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करुन देण्याची दि.१९.१२.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांना विनंती केली होती. त्यास अनुसरुन, जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांनी संदर्भ क्र. २ येथील दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या आदेशान्वये मौ.बुलढाणा येथील शासकीय गट नं. ७८, ९२, ९३, ९४ व ९५ मधील ०.४० हे.आर. शासकीय जागा बुलढाणा जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या कामगार भवन उभारण्यासाठी अटी व शर्तींच्या अधीन राहून मंजूर केली आहे.
- 3. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र. ३ येथील दि.१८.०४.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये बुलढाणा येथे कामगार भवन (नवीन प्रशासकीय इमारत) बांधण्यासाठी रु.४६,०५,४५,२२२/- (रु.शेहेचाळीस कोटी पाच लाख पंचेचाळीस हजार दोनशे बावीस फक्त) एवढ्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार सदर प्रस्ताव दि.१४.१०.२०२४ रोजी झालेल्या उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यतेस्तव ठेवला असता, सदर समितीने अंदाजित रु.२७,०९,३२,६१५/- (रु.सत्तावीस कोटी नऊ लाख बत्तीस हजार सहाशे पंधरा फक्त) इतक्या किंमतीच्या सुधारित प्रस्तावास सहमती दर्शविली आहे. सदर बाब विचारात घेता, बुलढाणा येथे कामगार भवन (प्रशासकीय इमारत) बांधकामाच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय:-

बुलढाणा येथील कामगार भवन (नवीन प्रशासकीय इमारत) हे मौ.बुलढाणा येथील शासकीय गट नं. ७८, ९२, ९३, ९४ व ९५ मधील ०.४० हे.आर. इतक्या क्षेत्रफळाच्या शासकीय जागेत प्रशासकीय इमारत Stilt + Stilt Parking + ५ (स्टिल्ट २४५.३१ चौ.मी., स्टिल्ट पार्किंग ६४३.६० चौ.मी., पहिला मजला ८८८.९१ चौ.मी., दुसरा मजला ८८८.९१ चौ.मी., तिसरा मजला ८८८.९१ चौ.मी., चौथा मजला ८८८.९१ चौ.मी. व पाचवा मजला ८८८.९१ चौ.मी.) विद्युतीकरण, आग प्रतिबंधक, पाणी पुरवठा व मलनि:सारण, संरक्षक भिंत व गेट, अंतर्गत रस्ते, भू-विकास, पार्किंग, फर्निचर, CCTV, वातानुकुलित यंत्रणा इ. साठी रु. २७,०९,३२,६१५/- (रु.सत्तावीस कोटी नऊ लाख बत्तीस हजार सहाशे पंधरा फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

- काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे.
- २. सदर कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत खातरजमा करण्यात यावी.
- 3. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे.
- ४. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
- ५. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी.
- ६. नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात याव्यात.

- ७. सदर अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि, अमरावती यांचे साक्षांकन तसेच उपभोक्ता विभागाच्या वतीने सक्षम प्राधिकाऱ्याचे साक्षांकन आवश्यक आहे.
- ८. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात.
- ९. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत.
- १०.इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी.
- ११.विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता लागणार नाही. याद्दष्टीने विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे.
- २. बुलढाणा येथील कामगार भवन (नवीन प्रशासकीय इमारत) इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकाचा सविस्तर गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे:-

| | e of the Department: Industrice of Work: Construction of A | | | | 10 | | | | | |
|------------|--|---------------|------------|------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| Name | e of work: Construction of A | RECAPITULAT | | navan) at Bulgar | la. | | | | | |
| | | Unit Rate | Norms | Cost Rs. | | | | | | |
| | | Rs/(Sqmt. | | | | | | | | |
| Sr. | Particulars of Scope | Units | Rates | Component | Total | | | | | |
| No. | | | | Wise | | | | | | |
| (A) | ESSENTIAL ITEMS (Components) | | | | | | | | | |
| 1 | Building proper (Built Up | | | | | | | | | |
| | Area-sq.m) | 245 21 0 34 | 20.000 | 60.60.600 | | | | | | |
| | Stilt Floor | 245.31 Sq. M | 28,000 | 68,68,680 | | | | | | |
| | Stilt (Parking) Floor | 643.60 Sq. M | 16,000 | 1,02,97,600 | | | | | | |
| | 1 st Floor | 888.91 Sq. M | 28,000 | 2,48,89,480 | | | | | | |
| | 2 nd Floor | 888.91 Sq. M | 28,000 | 2,48,89,480 | | | | | | |
| | 3 rd Floor | 888.91 Sq. M | 28,000 | 2,48,89,480 | | | | | | |
| | 4 th Floor | 888.91 Sq. M | 28,000 | 2,48,89,480 | | | | | | |
| | 5 th Floor | 888.91 Sq. M | 28,000 | 2,48,89,480 | | | | | | |
| | Total B.U.A.= | 5333.46 Sq. M | | Sub Total (A1) | 14,16,13,680 | | | | | |
| 2 | Electrification | Internal | 5% of (A1) | 70,80,684 | | | | | | |
| | | External | 6% of (A1) | 84,96,821 | | | | | | |
| | Fire Fighting Arrangements | | @400/ Sq. | 21,33,384 | | | | | | |
| | etc. | | mt. | | | | | | | |
| | Pump house, bore well, Trnasformer, MSEDCL etc | | L.S. | 25,00,000 | | | | | | |
| | Air Conditioning | | L.S. | 40,00,000 | | | | | | |
| | AB Rooms, Area Lighting, Generator etc | | L.S. | 25,00,000 | | | | | | |
| | CCTV | | L.S. | 10,00,000 | | | | | | |
| | Lifts | 3 | 20,00,000 | 60,00,000 | | | | | | |
| | | | , , | Sub Total (2) | 3,37,10,889 | | | | | |
| 3 | Water Supply & Sanitary Works | | 5% of (A1) | Sub Total (3) | 70,80,684 | | | | | |
| 4 | Furniture | 3733.42 Sq. M | 5,000 | Sub Total (4) | 1,86,67,110 | | | | | |
| | | 1 | , | Sub Total (A) | 20,10,72,363 | | | | | |
| (B) | MISCELLANEOUS ITEM | S | l | | 1 1 1 | | | | | |
| | Compound Wall & Gate (Rmt) | 203.00 Rmt | 8000 | 16,24,000 | | | | | | |

| | Water Main Storage | 100000.00 Litres | 23 | | 23,00,000 | |
|------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-----|---------------|-------------|
| | Internal Roads, Land | | 4.5% | of | 63,72,616 | |
| | Development, Parking, | | (A1) | | , , | |
| | Land Scaping, Soil | | , , | | | |
| | Investigation etc. | | | | | |
| | | | | | Sub Total (B) | 1,02,96,616 |
| | | Project | 21,13,68,978 | | | |
| (C) | PROVISIONS | · | | | | |
| | (i) Contingencies 4 % on (su | | | | | |
| | (ii) GST 18 % on (P) | | | | | |
| | (iii) Price Escalation 5% on | | | | | |
| | (iv) PMC Charges 1.5% on (| 31,70,535 | | | | |
| | (v) Labour insurance 1% on | 21,13,690 | | | | |
| | | Sub Total (C) | 5,95,63,637 | | | |
| | TOTAL COST OF PROJEC | 27,09,32,615 | | | | |
| | Say Rs. Lakhs | 2709.33 | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Bldg. Civil (A1) | | = | Rs. | 26,552 Sqm. | |
| 2 | Bldg Civil, Elect, Water Supp | ly, Furniture (A) | = | Rs. | 37,700 Sqm. | |
| 3 | Total (A+B) | | = | Rs. | 39,631 Sqm. | |

- 3. बुलढाणा येथे कामगार भवन (नवीन प्रशासकीय इमारत) बांधण्यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.के- ४, २२३० कामगार व सेवायोजन (००) (०६) कामगार आयुक्तालयाचे बळकटीकरण करणे व कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे (२२३० ५८१९) या योजनांतर्गत योजनेखाली ६०-इतर भांडवली खर्च या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा. उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांची तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर, टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार असून, तो उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (बीडीएस) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. त्याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.
- ४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि.२०.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग- पाच अंतर्गत महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
- ५. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.२३८/२०२४/इमा-२, दि.०६.०८.२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
- ६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१०१५११०६०९१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(स्वप्निल कापडणीस) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा. अध्यक्ष/सभापती, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

- २. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
- ३. सर्व मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य.
- ४. मा. राज्यपाल यांचे सचिव.
- ५. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव.
- ६. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव.
- ७. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव.
- ८. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव.
- ९. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- १०.मा. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ११. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
- १२.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर.
- १३. सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १४.कामगार आयुक्त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पू.), मुंबई.
- १५. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा.
- १६.कामगार उप आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती.
- १७. उप सचिव (इमारती-१), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १८.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती.
- १९. अवर सचिव (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- २०. निवडनस्ती (कामगार-८)